UPSB010049602022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र
पीठासीन–अशोक कुमार यादव–I, एच.जे.एस.,UP05607

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2359 / 2022

1. विकास चौबे पुत्र राज कुमार चौबे,
2. राज कुमार चौबे पुत्र स्व. हरिहर प्रसाद चौबे,
निवासीगण ग्राम अमोखर, थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. आवेदकगण **विकास चौबे व राज कुमार चौबे** अ.सं.–755 / 2022 अंतर्गत धारा–452, 323, 324, 308, 354, 504, 506 भा.दं.सं., थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र में अभियुक्तगण हैं।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण **विकास चौबे व राज कुमार चौबे** के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पाण्डेय, एडवोकेट एवं राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी का सम्यक परिशीलन किया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में सर्व प्रथम अभियोजन कथानक का वर्णन है। आगे अभिकथन है कि अभियोजन कथानक गलत है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई गई है। अभियुक्त विकास हाथ से 90 प्रतिशत विकलांग है जो कथित हथियार का प्रयोग करने में असमर्थ है। कथित घटना घटित नहीं हुई है। आवेदकगण आपस में पुत्र और पिता हैं। पूरे परिवार को साजिशन फंसाया गया है। वे जमानतों का दुरूपयोग नहीं करेंगे। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदकगण के पैरोकार उदय नरायन देव पाण्डेय द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उनका कोई जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न लंबित है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण को जमानत प्रदान किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया जबकि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्यक परिशीलन से प्रकट होता है कि दिनांक–02.10.2022 को लगभग 6 बजे शाम वादी राजेश चौबे घर में आरती की तैयारी कर रहा था, तभी उसके गांव के विकास चौबे, आकाश चौबे व राज कुमार चौबे उसके दरवाजे पर आकर गंदी–गंदी गालियां देने लगे तो वादी के अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाहर निकलते ही अभियुक्तगण उन्हें लाठी, डंडा, धारदार हथियार, लात, मुक्का से मारने लगे। वादी व उसके परिवार के सदस्य बचने हेतु घर में भागे तो अभियुक्तगण घर में घुसकर काफी मारे–पीटे व 12 वर्षीय गौरव के गाल पर दांत से काट कर उसका गला दबाने लगे। मारपीट में वादी व उसके पिता जमुना चौबे के सिर में गंभीर चोटें आने के कारण वे घर के आंगन में ही गिरकर उल्टी करते हुए बेहोश हो गये। अभियुक्तगण घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट व अभद्रता का व्यवहार किये। शोर पर आसपास के लोगों के आने व 112 नंबर पर फोन करने पर पुलिस के आने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। इसके पूर्व भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गई थी। अतः वादी ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

6. केस डायरी के सम्यक परिशीलन से प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ वादी के घर में घुसकर उसे व उसके परिवार के सदस्यों को भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी, डंडा, धारदार हथियार, लात, मुक्का से मारपीट कर गंभीर व प्राणघातक चोटें पहुंचाया जाना व घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट व अभद्रता करना कहा गया है।

7. चोटहिलों को जो चोटें दर्शाई गई हैं, उनमें कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया है। किसी हायर सेंटर में चोटहिल राजेश चौबे को भर्ती नहीं कराया गया है। अभियुक्त पक्ष के भी राज कुमार को कुल 3 चोटें आनी दर्शाई गई हैं। विकास चौबे को कुल 6 चोटें आईं हैं। चोटें शख्त व कुंद हथियार से पहुंचाई गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पक्ष को भी मारपीट में चोटें आईं हैं। अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास में दर्शित किसी मामले में उन्हें दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण लगभग एक माह से जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

8. मामले के संपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों में अभियुक्तगण के अपराध की प्रकृति, अपराध में दंड की मात्रा, चोटिलों की चोटों की संख्या व प्रकृति तथा अभियुक्तगण की कारागार में निरूद्धि अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदकगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण **विकास चौबे व राज कुमार चौबे** का अ.सं.–755/2022 अंतर्गत धारा–452, 323, 324, 308, 354, 504, 506 भा.दं.सं., थाना –रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2359/2022 स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण को उक्त प्रकरण में रु. 1,00,000/–का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू बंध पत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

1. आवेदकगण बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होंगे।
2. आवेदकगण विचारण के प्रारंभ की अवस्था, आरोप विरचित होने के दिनांक एवं धारा–313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण के दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
3. आवेदकगण वर्तमान मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन इस प्रकार का नहीं देंगे कि अवगत होने वाला व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करे।
4. आवेदकगण साक्ष्य को नष्ट नहीं करेंगे।
5. जो अभियोग आवेदकगण पर लगाया गया है, वैसा ही अन्य कोई अपराध नहीं करेंगे।

दिनांक–09.11.2022

(**अशोक कुमार यादव–I**)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

Digitally signed by Ashok Kumar Yadava I
Date: 2022.11.09 18:38:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sonbhadra